बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :– राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

राज्य में सेवाओं एवं पदों का वर्गीकरण पूर्व में जून, 1977 में और तत्पश्चात् चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण के उपरान्त मार्च, 1986 में किया गया था। पंचम वेतन पुनरीक्षण के उपरांत वर्गीकरण नहीं हो पाया। षष्टम वेतन पुनरीक्षण के आलोक में नवम्बर, 2004 में सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया गया:–

(1) समूह 'क'– कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 13500 रुपये से कम नहीं हो।

(2) समूह 'ख'– कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 9000 रुपये से कम नहीं हो, परन्तु 13500 रुपये से कम हो।

(3) समूह 'ग'– कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये से अधिक परन्तु 9000 रुपये से कम हो।

(4) समूह 'घ'– कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000 रुपये अथवा उससे कम हो।

[अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे गये।]

2. सप्तम वेतन पुनरीक्षण के संदर्भ में वेतन समिति की अनुशंसा के उपरांत वित्त विभाग के संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10 के अंतर्गत दिनांक 01.01.06 के प्रभाव से किये गये वेतन पुनरीक्षण के आलोक में तथा भारत सरकार में वर्गीकरण संबंधी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंसन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के आदेश सं0 946 (अ.) दिनांक 09.04.09 के अनुरूप राज्य सरकार के अधीन के पदों को निम्नांकित रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है:–

क्रमांक	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
(1)	(क) शीर्षस्थ वेतनमान (80000 नियत) और उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड जमा वेतनमान (75500–80000 रु0) में कोई सिविल पद, और (ख) निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद:– 37400–67000/–रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–4 में 12000/–रुपये, 10000/–रुपये, 8900/–रुपये और 8700/–रुपये तथा 15600–39100/–रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड 3 में 7600/–रुपये, 6600/–रुपये और 5400/–रुपये।	समूह 'क'
(2)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पद:– 9300–34800/– रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–2 में 5400/–रुपये, 4800/–रुपये, 4600/–रुपये और 4200/–रुपये।	समूह 'ख'

(3)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 5200–20200/– रुपये के वेतनमान में वेतन बैंड–1 में 2800/–रुपये, 2400/–रुपये, 2000/–रुपये, 1900/–रुपये और 1800/–रुपये।	समूह 'ग'
(4)	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला कोई सिविल पदः– 4440–7440/रुपये के वेतनमान में 1 एस वेतनमान में 1300/–रुपये, 1400/–रुपये, 1600/–रुपये और 1650/–रुपये।	समूह 'घ'

टिप्पणी– अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' में समझे जायेंगे।

3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे उपर्युक्त के अनुसार संशोधित कर लेंगे। नियमावली में ऐसा संशोधन किये जाने हेतु राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। प्रशासी विभाग मात्र विधि विभाग से विधिक्षा कराकर नियमावली में वर्गीकरण सम्बंधी संशोधन संकल्प के निर्गमन की तिथि के प्रभाव से कर सकेंगे। परन्तु जबतक संबंधित नियमावलियों में ऐसा संशोधन नहीं हो जाता है तबतक के लिए उपर्युक्त कंडिका–2 के अनुसार पुनर्वर्गीकरण लागू समझा जायेगा।

4. यह तुरत प्रवृत होगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0 1–1099/90 सा0...511.../ **पटना, दिनांक** ...22-2-... **2011**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0 1–1099/90 सा0...511.../ **पटना, दिनांक** ...22-2-... **2011**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव